an>

Title: Need to fast track the recovery of big loans and waiving off small loans of farmers in Uttar Pradesh particularly in Hamirpur Parliament Constituency.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) ः भारत इस समय विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारे द्वारा उच्च विकास दर का लक्ष्य भी रखा गया है। यह विकास तेजी से हो सके इसके लिए निजी क्षेत्र को निवेश हेतु धन उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है जिससे नवीन रोजगार का निर्माण हो सकेगा। यह ऋण निजी क्षेत्र द्वारा एक निश्चित समय में वापस करना होता है परन्तु वर्तमान समय में ऋण वसूली अधिकरणों में लगभग 70 हजार मामले लंबित हैं जो कि एक चिंता का विषय है।

ऋण वसूली के त्वरित निपटान आज समय की मांग है यद्यपि इन मामलों के निपटान की वर्तमान समय-सीमा 180 दिन है परन्तु विभिन्न कारणों से यह मामले वर्षों तक चलते रहते हैं और ऋण वसूली में देरी होती है। आज के समय में रिजर्व बैंक को बड़े देनदारों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। जहां रिजर्व बैंक को इन बड़े देनदारों की साख की चिंता है वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) सहित पूरे बुंदेलखण्ड में औसत कृषि ऋण लगभग 30,000 रूपये है और इसकी वसूली के लिए सभी हथकंडे कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है और किसानों की गरिमा को ठेस पहुंचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ बड़े देनदार प्रचलित कानून की त्रुटियों का लाभ उठाकर बिना ऋण वापिस कर देश से बाहर भाग जाते हैं। इस पर कानून का संशोधन करके अंकुश लगाने की जरूरत है। यदि ऋण वसूली के मामलों का त्वरित निपटान नहीं किया जाएगा तो इससे देश में कारोबार के लिए उचित माहौल नहीं बनेगा और निवेश में कमी आएगी और विकास दर भी प्रभावित होगी तथा मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) सहित सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड से पिछले 10 वर्षों के दौरान रोजगार के लिए जो 40 प्रतिशत पलायन हुआ है उन लोगों के प्रवास में रोजगार में कमी आएगी और उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।

अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ऋण वसूली के मामलों के त्वरित निपटान के साथ बुंदेलखण्ड के गरीब किसानों के ऋण पर ब्याज को माफ किया जाये।